FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज़ अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

....बनाम ....

किस्म मुकदमा– पत्थरगढ़ी नं. ......77/22...... सन् 2021

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>20/4/22</td><td>प्रार्थी की ओर से वकील श्री ......नरेन्द्र कुमार मेहता...... ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एवट के तहत् मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया
सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा......चिकारड़ा......... पटवार मण्डल ......चिकारड़ा...... तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1262/0.0630 ......1263/0.2530, 1303/0.9870...... रकबा .... हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।
पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा ......चिकारड़ा...... पटवार मण्डल......चिकारड़ा...... तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ......1262/0.0630, 1263/0.2530, 1303/0.9870...... रकबा.................................. है0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुक्ममल तौर पर की जावें।
पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक ......24.5.2022...... तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।
पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।
[signature]
उपखण्ड अधिकारी
डूंगला</td><td></td></tr>
</table>

Scanned by CamScanner